रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112023-250314
CG-DL-E-30112023-250314

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4864] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945
No. 4864] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2023

का.आ. 5076(अ).—वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) (इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' के रूप में अभिप्रेत) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) सहपठित धारा 3ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निबंधनों और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एतद्वारा एक आदेश जारी करती है जिनका राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के तहत वन भूमि को सरकारी और निजी संस्थाओं को पट्टे पर देने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय पालन किया जाएगा :

1. प्रयोक्ता अभिकरण उक्त अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करेगी।

2. उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) के तहत केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी वन भूमि पट्टे पर नहीं सौंपी जाएगी।

3. खनन के लिए वन भूमि को पट्टे पर सौंपने के मामले में, वन भूमि को तोड़ने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, खनन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वन को पट्टे पर सौंपने के संबंध में वन भूमि को एक सीमित सीमा तक, जैसे कि वृक्षारोपण, और अस्थायी या गैर-स्थायी निर्माण के लिए तोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

4. खनन पट्टे के अंतर्गत स्थित वन भूमि में खनन कार्य उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत वन क्षेत्र के अपवर्तन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।

5. खनन पट्टे के लिए वन भूमि का आवंटन चाहने वाली प्रयोक्ता अभिकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करेगी, जिसमें विस्तृत खनन से पूर्व और खनन के बाद की भूमि उपयोग योजना, खान बंद करने की योजना के विषय में सूचित किया जाएगा और खनन के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर प्रस्तावित गतिविधियों को सूचित करते हुए प्रस्ताव के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या योजना प्रस्तुत की जाएगी।

6. उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) के तहत अनुमोदन, किसी भी तरीके से, अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में कोई अधिकार या इक्विटी प्रदान नहीं करता और धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत प्रस्तावों पर निर्णय गुण-दोष और/या स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर लिया जाएगा।

7. मौजूदा खनन पट्टों के मामले में, जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से वन भूमि है, जिसके लिए अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमाती के बिना 1 अप्रैल, 2015 से पहले कम से कम एक बार खनन पट्टा पहले ही सौंपा जा चुका है, तब तक कोई खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ii) के तहत ऐसे खनन पट्टे के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण वन भूमि के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता, खनन पट्टों के अंतर्गत समस्त वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला नहीं जाता और प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अन्य लागू क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता।

8. प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल किया गया प्रतिपूरक शुल्क संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा;

9. वन भूमि को पट्टे पर सौंपने के लिए दी गई मंजूरी की वैधता संगत क़ानून के तहत दिए गए खनन पट्टे की अवधि के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए या केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगी;

10. यदि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित वन भूमि को पट्टे पर सौंपने का आदेश जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के खंड (ii) के तहत अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो खनन के लिए वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए दी गई मंजूरी अमान्य हो जाएगी;

11. खनन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन से वन भूमि को पट्टे पर सौंपने के मामले में, प्रयोक्ता अभिकरण और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किया जाने वाला एक मसौदा समझौता ज्ञापन या मसौदा पट्टा विलेख तैयार किया जाएगा और, यदि लागू हो, पट्टा किराया के विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा;

12. वन विभाग द्वारा कार्य योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियों को पट्टे के आवंटन के लिए विचार किए जाने वाले क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाना जारी रखा जाएगा।

13. सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज भूमि पर सरकारी विभाग द्वारा वृक्षारोपण को वानिकी गतिविधि के रूप में माना जाएगा और तदनुसार, ऐसी वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे;

14. वन भूमि में औषधीय पौधों के रोपण सहित कम रोटेशन के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को गैर-वानिकी गतिविधियों के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामलों में धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी और ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाएगा और ऐसे मामलों में सीए और एनपीवी के प्रावधान लागू होंगे।

15. अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत दी गई मंजूरी किसी भी तरह से राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों या किसी अन्य प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र

सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना ऐसी वन भूमि को खनन पट्टे के लिए आवंटित करके उनके द्वारा किए गए उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए अधिनियम की धारा 3 क और 3 ख के तहत कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी से बरी नहीं करती है।

16. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), स्थानीय वन अधिनियम, या उक्त अधिनियम से संबंधित किसी मुद्दे के कारण मुकदमें के तहत आने वाली या न्यायालय के विचाराधीन वन भूमि संबंधी प्रस्तावों को अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेशों के अनुसार निपटाया जाएगा और इस प्रकार की भूमियों में अधिनियम की प्रयोज्यता की तारीख न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगी।

17. राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और प्रयोक्ता अभिकरण, प्रति वर्ष कम से कम एक बार, वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग की अनुमति देते समय लगाई गई शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगी और ऐसी निगरानी रिपोर्ट की एक प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ऐसी निगरानी के दौरान पाए गए गैर-अनुपालनों, यदि कोई हो, को इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए;

18. मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, परिवेश पोर्टल पर या मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (iii) के तहत दी गई मंजूरी और उसके तहत की गई कार्रवाई की निगरानी कर सकता है।

19. राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा पट्टे पर वन क्षेत्र आवंटित करने से पहले अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित अन्य सभी अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

20. ऐसे पट्टे पर सौंपी जाने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

21. अधिनियम की धारा 3(ग) के तहत केंद्रीय सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या किसी भी संगठन को इन दिशानिर्देशों के संबंध में, जैसा आवश्यक हो, स्पष्टीकरण या निदेश जारी कर सकती है ।

[फा. सं. एफसी - 11/61/2021-एफसी]

रमेश कुमार पाण्डेय, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2023

S.O. 5076(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of section 2 read with section 3C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 (69 of 1980) (hereinafter referred to as the said Adhiniyam), the Central Government hereby issues an order specifying the terms and conditions, to be abided by the State Government or Union territory Administration while considering the proposals pertaining to assignment of forest land on lease to Government as well as the private entities under the aforementioned provisions of the said Adhiniyam, namely:-

1. The user agency shall make an online application in the prescribed Form on PARIVESH portal for the prior approval of the Central Government under the said Adhiniyam.

2. No forest land shall be assigned on lease without the prior approval of the Central Government under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam.

3. In case of assignment of forest land on lease for mining, no breaking of forest land shall be allowed, however, breaking of forest land to a limited extent such as plantation of trees, and temporary or non-permanent construction may be allowed in case of assignment of forest land on lease for a purpose other than mining;

4. Mining operations in the forest land located within the mining lease can be undertaken only after obtaining the approval for diversion of the forest area under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam following the procedure prescribed under the rules made thereunder.

5. The user agency seeking assignment of forest land on lease for mining shall submit Mining Plan, approved by the competent authority, indicating the detailed pre-mining and post mining land use plan, mine Closure Plan and for activities other than mining a Detailed Project Report or Plan indicating the activities proposed on the forest land shall be submitted by the user agency along with the proposal.

6. Grant of approval under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam does not, in any manner, create any right or equity in favour of the user agency for grant of approval under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniayam and decision on the proposals under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 shall be taken on the merit or the facts reported in the site inspection reports on case to case basis.

7. In case of existing mining leases having forest land in part or in full, for which mining lease has already been executed at least once before 1st April, 2015 without prior approval of the Central Government under the said Adhiniyam, no mining shall be allowed till approval under clause (ii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam for the entire forest land falling in such mining lease is obtained, Net Present Value of forest land falling in such mining leases as stipulated in such approval is realised from the user agency and provisions of other applicable statutes are complied with by the user agency.

8. Compensatory levies realised from the user agency shall be deposited into the account of the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority of the State or Union territory Administration, managed by the National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority.

9. The validity of approval granted for the assignment of forest land on lease shall be valid for a period co-terminus with the period of mining lease granted under the relevant statute or for the period as may be specified by the Central Government.

10. The approval granted for the assignment of forest land on lease for mining shall become null and void in case no proposal seeking approval under clause (ii) of sub-section (2) of section 2 of the said Adhiniyam is submitted by the user agency within a period of two years from the date of issue of order of assignment of corresponding forest land on lease.

11. In case of assignment of forest land on lease for a purpose other than mining, a draft Memorandum of Understanding or draft lease deed to be signed between the user agency and the State Government shall be prepared and submitted along with the details of lease rent, if applicable.

12. The activities proposed to be undertaken by the Forest Department as per the prescriptions made in the working plan shall be continue to be implemented in the area to be considered for the assignment of lease.

13. Raising of plantations by the Government Department on the land recorded as forest in the Government records shall be considered as forestry activity and accordingly, provisions of the compensatory afforestation and Net Present Value shall not be applicable for such plantation activities.

14. Raising of commercial plantations of low rotation, including plantation of medicinal plants in the forest land shall be considered as non-forestry activities and in such cases prior approval of the Central Government under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 shall be obtained and decision on such proposals will be undertaken by the Central Government on the merits of each case. Provisions of compensatory afforestation and Net Present Value shall be applicable in such cases.

15. Approval granted under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam does not in any manner exonerate the authorities in the State Government or any other authority from the proceedings under section 3A and 3B of the said Adhiniyam liable to be initiated for violation, if any, committed by them by assigning such forest land for mining lease without obtaining prior approval of the Central Government under sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniyam.

16. The proposals on forest land under litigation or *sub-judice* on account of an issue pertaining to the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), Local Forest Act, or said Adhiniyam shall be dealt as per the orders, Judgements passed by the Courts or Tribunals in such cases and the date of applicability of the Adhiniyam in such lands shall be in accordance with the direction, if so, passed by the Courts/Tribunals.

17. The State Government or Union territory Administration and the user agency shall monitor, at least once in every year, the compliance of conditions imposed while allowing the non-forestry use of forest land and a copy of such monitoring report shall be uploaded on PARIVESH portal for future references. Non-

compliances, if any, observed during such monitoring, should be brought to the notice of the concerned authorities for undertaking remedial measures as per the relevant guidelines issued by the Central Government in this regard.

18. The Regional Office of the Ministry, based on the available information in Ministry or on PARIVESH portal, can carry out the monitoring of approvals accorded under clause (iii) of sub-section (1) of section 2 of the said Adhiniayam and action taken thereunder.

19. The provisions of the all other Acts, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) shall be complied with before the assignment of forest area on lease by the State Government or Union territory Administration.

20. The legal status of the forest land to assigned on such lease shall remain unchanged.

21. The Central Government under section 3C of the said Adhiniyam may further clarify or issue directions to the State Government or Union territory Administration or to any organisation, as may be necessary with respect to these guidelines, for the implementation of the said Adhiniyam.

[F. No. FC-11/61/2021-FC]

RAMESH KUMAR PANDEY, Inspector General of Forests

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.11.30 11:07:15 +05'30'